

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

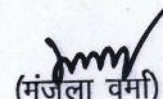
क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2018-19/698

दिनांक- 25/09/2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 213/2018-19 दिनांक 18.09.2018 द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण यादव (लिंग नम्बर 9066), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का स्थानान्तरण निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर से वित्त (व्यय-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री यादव द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री यादव को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 25/09/2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री यादव नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

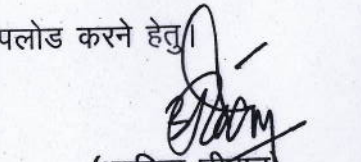

(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (क)/नोटिस/2018-19/698

दिनांक- 25/09/2018

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री लक्ष्मीनारायण यादव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द धीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)